

प्रमाण,

श्री अजीक गाँवुनी  
संयुक्त सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र 2 समूहाय केन्द्र,  
प्रयाग विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग


मसंक्र : दिनांक 31 अगस्त, 1998

विषय: निर्मल आश्रम दीपमाला पगारानी पब्लिक स्कूल, इधाम्पुर अधिवेशन देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने के संबंध में ।

यहाँ पर,

उपर्युक्त विषय पर श्री एच. कल्ले का विदेश हुआ है कि निर्मल आश्रम दीप माला पगारानी पब्लिक स्कूल, इधाम्पुर अधिवेशन देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 11। विद्यालय की प्रजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13। विद्यालय में फण्ड से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न स्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा केसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट अयोजना अधीन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 15। संस्था वैधिक एवं शिक्षा उत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य तथा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/प्रक्रियाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुराने मोटन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।



2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि  
।।। विद्यार्थियों में ईपीएसपी योजना भी प्र लागू की जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि  
किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं  
किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती  
जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले  
लिया जायेगा ।

भारतीय,

अधीक मांगी  
संयुक्त सचिव ।


पुणे-3789111/15-7-98 तद दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, पौड़ी गढ़वाल ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून ।
- 4- निरीक्षक, आश्रम भारतीय विद्यालय, उज्जैन लखनऊ ।
- 5- प्रधानक, निर्मल आश्रम दीपमाला पगारानी पब्लिक स्कूल, श्याम्पुर रीशिकेश, देहरादून ।

आगत से

अधीक मांगी  
संयुक्त सचिव ।



Attested True Copy

2/12/99

J. S. SAJWAN  
NOTARY, Rishikesh

Attested

halitha

Lalitha Krishnaswamy  
Principal  
Nirmal Ashram Deepmala  
Pagarani Public School  
Shyampur, Rishikesh (U.K.)